

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि को छोड़कर)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ^	40500.00 (2)	40500.00 (2)	40500.00 (2)
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग ^^	48319.50 (74)	46744.65 (74)	1574.85	35152.10 (62)	13167.40 (12)	83.41	77.06	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	0.01 (1)	0.01 (1)	0.01 (1)
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	...	3495.00	6000.00 (1)
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	1346.15 (1)	597.31 (1)	748.84	1346.15 (1)	5.97	5.97	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग \$	1195.83 (4)	1180.11 (4)	15.72	1195.83 (4)	97.53
जोड़		100856.49 (83)	98517.08 (83)	2339.41 (3)	38647.10 (62)	62209.39 (21)	186.91	83.03	...
2. शेर पांजी की अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांख्यिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	8.50	0.00	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	3034.50 (1)	...	3034.50 (1)	3034.50 (1)	1.47	1.49	...
	विद्युत मंत्रालय #	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	140.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	37000.00 (5)	37000.00 (5)	...	300.00 (1)	36700.00 (4)	...	0.00	...
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग *	37608.67 (12)	22513.97 (10)	15094.70 (2)	1005.00 (1)	36603.67 (11)	221.19	211.50	...
	जोड़	84643.17 (19)	66513.97 (17)	18129.20 (3)	1305.00 (2)	83338.17 (18)	299.69	352.99	...

प्रारंभिक बजट, 2024-2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, सविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	22548.84 (6)	22547.25 (6)	1.59	7123.83 (2)	15425.01 (4)	2.01	2.01	...
	कोयला मंत्रालय	615.48 (3)	578.37 (3)	37.11	35.56	579.92 (3)	5.03	5.03	...
	विद्युत मंत्रालय	39862.03 (41)	36697.18 (41)	3164.85	3394.92	36467.11 (41)	445.39	445.39	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग **	16846.77 (5)	13056.95 (5)	3789.82	4408.79 (1)	12437.98 (4)	61.57	85.45	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग ^^	210605.12 (364)	188798.89 (216)	21806.23 (148)	138372.92 (39)	4638.27	...	67593.93 (325)	97.87	99.01	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	51.38 (3)	48.35 (3)	3.03	3.29	48.09 (3)	0.19	0.19	...
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	385.12 (1)	385.12 (1)	...	72.72	312.40 (1)	0.96	0.96	...
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ##	13984.80 (17)	12183.95 (15)	1800.85 (2)	1350.27 (2)	12634.53 (15)	117.25	202.50	...
	इस्पात मंत्रालय	310.51 (2)	310.51 (2)	...	7.56	302.95 (2)	0.89	0.89	...
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग @@	657.08 (1)	428.40 (1)	228.68	657.08 (1)	4.28	6.57	...
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	871.73 (4)	871.73 (4)	...	106.59 (1)	765.14 (3)	9.74	9.74	...
	विदेश मंत्रालय	78543.14 (8)	70872.36 (8)	7670.78	65991.68 (1)	12551.46 (7)
	रेल मंत्रालय ***	9464.90 (2)	7842.30 (2)	1622.60	494.26	8970.64 (2)	100.41	100.41	...
	जोड़	394746.90 (457)	354621.36 (307)	40125.54 (150)	221362.39 (46)	4638.27	...	168746.24 (411)	845.59	958.15	...

4. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा रेलवे को बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां		
		कुल जोड़	580246.56	519652.41	60594.15	261314.49	4638.27	...	314293.80	1332.19	1394.17	...
			(559)	(407)	(153)	(110)			(450)			

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

- ^ पूर्व वर्ष के इति शेष और वर्तमान वर्ष के अथशेष में गारंटी की धनराशि में अंतर 31 मार्च 2022 को गारंटी की कुछ धनराशि को समाप्त करने और 1 अप्रैल 2022 को नई गारंटी के अनुमोदन के कारण है। पूर्व वर्ष के इति शेष और वर्तमान वर्ष के अथशेष में गारंटी की संख्या में अंतर वर्ष के दौरान गारंटी के बंद होने के कारण है। गारंटी शुल्क सीसीईए द्वारा माफ कर दिया गया है।
- ^^ गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों में भिन्नता आईआईएफसीएल की आईआईएफसी (यूके) सब्सिडियरी के संबंध में विनियम दर भिन्नता के कारण हुआ है। अभिवृद्धियां कॉलम में आंकड़ें अर्जित ब्याज/विनियम दर भिन्नता के कारण है।
- \$ इंडियन ड्रस फार्मास्यूटिकल लि0 द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी गारंटी शुल्क/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी इसका भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पूर्व वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में अभिवृद्धियों के आकड़ों में परिवर्तन के कारण वर्ष के प्रारंभ में बकाया धनराशि संशोधित होकर रु.1152.60 करोड़ से रु.1180.11 करोड़ हो गई है।
- £ ₹8.50 करोड़ की राशि यह दर्शाता है कि एचओसीएल से अभी भी पेनल गारंटी शुल्क प्राप्त किया जाना है।
- € गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों में भिन्नता आईआईएफसीएल की आईआईएफसी(यूके) सब्सिडियरी के संबंध में गारंटी शुल्क की प्राप्तियों से विनियम दर भिन्नता के कारण हुआ है।
- # गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों में भिन्नता वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित 70 करोड़ के डीवीसी के संबंध में अग्रिम गारंटी शुल्क के भुगतान के कारण हैं।
- * दूर संचार विभाग के संबंध में वर्ष 2023-24 से संबंधित रु.85.00 करोड़ की गारंटी शुल्क को वर्ष 2022-23 में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, रु.221.19 करोड़ प्राप्य योग्य धनराशि में से रु. 94.69 करोड़ एमटीएनएल द्वारा जमा नहीं किया गया। लेकिन इसे एमटीएनएल के बकाया धनराशि के गैर-नकद लेदनदेन के रूप में भुगतान/समायोजन करने के बजाय दूर संचार से वसूली योग्य किया गया।
- ¥ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गारंटी की संख्या का उल्लेख 41 के स्थान पर 43 किया गया है और अब इसे 2022-23 के दौरान संशोधित कर लिया गया है।
- ** गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों के बीच अंतर अमेरिकी डालर की रूप में परिवर्तन के कारण है।
- ^^^ आईडीईएस के तहत प्रदान की गई गारंटियों के संबंध में किए गए वास्तविक संवितरण के बजाय संपूर्ण स्वीकृत धनराशि दर्शाई गई है। इसे अब सुधार लिया गया है और धनराशि को डिलीशन कालम के तहत प्रदर्शित किया गया है। गारंटी शुल्क प्राप्त एवं प्राप्तियों के बीच अंतर नाबार्ड से गारंटी शुल्क के भुगतान में विलंब के लिए दण्ड के रूप में रु.1.14 करोड़ की प्राप्ति के कारण है। कालम 7 में दर्शाए गए आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 में गारंटी का प्रावधान करता है लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में इसे समायोजित किया गया।
- ## पूर्व वर्ष के इति शेष और वर्तमान वर्ष के अथशेष में गारंटी की धनराशि में अंतर रु.423.03 करोड़ के आंकड़े के कारण है जिसे असावधानी से (-) 423.03 करोड़ के स्थान पर डिलीशन कालम में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त, रु.0.18 करोड़ का अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण हुई है। प्राप्त गारंटी शुल्क की धनराशि का अंतर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईआरडीए द्वारा अग्रिम भुगतान के कारण है।
- @@ पूर्व के विवरण में रु.428.40 करोड़ के वास्तविक ऋण के स्थान पर असावधानी से रु.1054 करोड़ की गारंटी की अधिकतम धनराशि ली गई है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 के वर्तमान विवरण में सही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में प्राप्य रु.4.28 करने की गारंटी शुल्क प्राप्त हो गई है और 2021-22 में दर्ज की गई है और वर्ष 2023-24 में प्राप्य रु.6.57 करोड़ की गारंटी शुल्क 2022-23 में प्राप्त हो गई है।
- ? आईडीईएस के तहत प्रदान की गई गारंटियों के संबंध में किए गए वास्तविक संवितरण के बजाय संपूर्ण स्वीकृत धनराशि दर्शाई गई है। इसे अब सही कर दिया गया है और धनराशि को डिलीशन कॉलम के तहत दर्शाया गया है। आईडीईएस के तहत एक्जिम बैंक के माध्यम से क्रेडिट लाइन प्रदान करने हेतु गारंटी जारी की गई थी, श्रेणी (iii) के तहत दर्शाई गई हैं।
- *** कालम 5 आंकड़े में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु.403.47 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण एवं विनियम दर अंतर शामिल है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त आंकड़ें मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित लेखा महानियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण हुए परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं।
2. वर्ष 2022-23 के दौरान ₹60594.15 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2022-2023 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 0.22 प्रतिशत है।
3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए (दिसंबर, 2023 तक) ₹ 68,012.80 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2023-24 (एफएई) ब.अ. में अनुमानित जीडीपी का 0.23% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्वधीन निकाय द्वारा ऋण की अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है।